

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
 ए०एन०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), द्विपूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010

शुद्धि-पत्र

आशुलिपिक-III एवं कार्यालय सहायक-III के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दिनांक 05.10.2017 को निर्गत विज्ञापन सं० 1/विसेआ/2017/संशोधित जिसकी ऑनलाइन परीक्षाएँ दिनांक 28 अगस्त 2018 एवं 24 अक्टूबर 2018 के मध्य सम्पन्न हो चुकी हैं, में विकलॉग अभ्यर्थियों के लिये क्षैतिज आरक्षण त्रुटिवश 3 प्रतिशत अनुमन्य के स्थान पर 4 प्रतिशत अनुमन्य टंकित हो गया है। जबकि शासनादेश सं० 18-1/95क-2/1995 टी०सी०-1/97 दिनांक 20.09.1997 में विकलांगजन के लिये लोकसेवाओं में 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण का प्रावधान है। अतः विज्ञापन सं० 1/विसेआ/2017/संशोधित के 'क्लाज 6' में विकलॉग अभ्यर्थियों के लिये क्षैतिज आरक्षण 4 प्रतिशत अनुमन्य के स्थान पर '3 प्रतिशत अनुमन्य' पढ़ा जाये, जो उक्त शासनादेश के अनुरूप है। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

सचिव, विद्युत सेवा आयोग

कृपया उक्त बाक्स के अन्दर का ही मैटर छापें।

पत्रांक: 4710 /विसेआ/1-2017

दिनांक : दिसम्बर 15 ,2018



(Handwritten signature)